WADS Foundation

Bringing Innovations & Reaching the Un-Reached

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न व्यक्ति की समानता एवं मर्यादा के अधिकारों का हनन है

एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रत्येक कर्मी का अधिकार है और वैड्स फाउंडेशन बिहार में अपने सभी कर्मियों को सुरक्षित एवं अनुकूल कार्यस्थल प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है |

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध नीति या PSEA क्या है ?

भारत सरकार का कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम ,प्रतिनिषेध ,निवारण) अधिनियम 2013 सभी महिला कर्मियों को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के साथ- साथ निवारण की सुविधा भी सुनिश्चित करता है |

कार्यस्थल की परिभाषा

ऐसा कोई भी स्थान जिसका दौरा किसी कर्मी के द्वारा काम के संबंध में या काम के दौरान किया जाता है |
इस परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित है- कार्यालय परिसर (संस्था की सभी क्लस्टर , SHT, क्षेत्रीय एवं मुख्य कार्यालय, इन कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय या फील्ड एरिया) संस्था के प्रशिक्षण केंद्र, काम के संबंध में किए गए दौरे जैसे प्रशिक्षण लेने या देने संबंधी दौरे, भ्रमण, बैठके, सम्मेलन, सर्वेक्षण अध्ययन, गृह भेट आदि | साथ ही प्रशिक्षण में इन दौरों के दौरान उपयोग किए गए परिवहन भी सम्मिलित है |

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है ?

यौन उत्पीड़न की परिभाषा निम्नलिखित अनचाहे या अवांछनीय यौनिक व्यवहार से सम्मिलित है |(पर केवल इन तक सीमित नहीं है)| इसकी प्रवृत्ति शारीरिक मौखिक या सांकेतिक हो सकती है |

यौनिक प्रवृत्ति का मौखिक उत्पीड़न जैसे अश्लील टिप्पणी ,यौनिक मजाक या उल्लेख,सवाल,कहानी या भद्दी व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, सीटी बजाना|

कामुक नजर से देखना/घूरना इशारा करना,यौनिक संकेत देने वाली मुद्रा या हाव भाव |

छूना, सटना, थपथपाना, रास्ता रोकना/घेरना, करीब आना या ऐसी कोई हरकत करने का प्रयास करना |

यौनिक संकेत देने वाली सामग्री है जैसे अश्लील चित्र,वीडियो ,फिल्म,गाने,संदेश,वस्तु आदि भेजना या दिखाना या देखने के लिए दबाव बनाना |

यौनिक संबंध के लिए दबाव मांग या प्रस्ताव रखना |

उपरोक्त के साथ या इनके अलावा यौन उत्पीड़न निम्नलिखित रूप से भी हो सकता है ?

· रोजगार में विशेष सुविधाओं या पदोन्नति का करार कर यौनिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करना या दबाव बनाना | मना करने पर पदोन्नति या वर्तमान या/और भावी नौकरी को प्रभावित करने की धमकी देना |

· मना करने पर कर्मी और उसके कार्य को प्रभावित करने के लिए कार्यस्थल पर दहशतपूर्ण और प्रतिकूल माहौल बनाना |

शिकायत कौन कर सकता है ?

· संस्था के नियमित, अस्थाई, दिहाड़ी रूप में कार्यरत कर्मी, संविदा कर्मी या प्रोबेशनर, प्रशिक्षणस्नार्थी , स्वैच्छिक कार्यकर्ता, इंटर्न , फेलो या अपरेटिस जिसके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना हुई है।

· यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत शिकायतकर्ता के द्वारा स्वयं आंतरिक शिकायत समिति को दर्ज कराई जा सकती है शिकायतकर्ता की पहचान को शिकायत के निवारण की पूरी प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी गुप्त रखा जाएगा।

शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराए ?

· संस्था के आंतरिक शिकायत समिति में |

· शिकायत मौखिक या लिखित में से किसी भी (या दोनों) रूप में एक पत्र,फोन, टेक्स्ट,ईमेल, जैसे किसी भी माध्यम के द्वारा दर्ज कराई जा सकती है |

· यौन उत्पीड़न की घटना की स्थिति में घटना के तीन माह के अंदर या एक से अधिक घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना के तीन माह के अंदर शिकायत दर्ज करें |

ईमेल आईडी :-

wads.org@gmail.com
indraneel0812@gmail.com

फ़ोन नंबर :-

9452701157	
7004616231	

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक जानकारी

· प्रतिवादी (जिनके विरोध शिकायत दर्ज करनी है) का नाम पद एवं कार्यालय
· शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी के बीच का कार्यकारी संबंध
· दिनांक, समय एवं स्थान सहित घटना/घटनाओं का विवरण
· (यदि हो तो) प्रमाण एवं गवाह (गवाहों) से संबंधित जानकारी

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक ऐसा आचरण है जो की अवांछनीय और अप्रिय है |
यौनिक प्रवृति का है, यह एक व्यक्तिपरक अनुभव है |
आचरण का प्रभाव या असर महत्वपूर्ण है न कि प्रयोजन का इरादा |
इसलिए कृपया अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें |